पत्रांक प्राप्ति संख्या 3269/SLSA

दिनांक 01-10-2016

उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग–1
संख्या– /XXXVI(1)/2016-51/2016
देहरादूनः दिनांकः 30 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39, वर्ष 1987) की धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मा0 मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– 1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 के उपनियम (2) का संशोधन– 2. मूल नियमावली में नियम 3 के उपनियम (2) के क्रम संख्या (XII) के पश्चात क्रम संख्या (XIII) निम्नवत जोड़ दिया जायेगा, अर्थात;

"(XIII) महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।"

नियम 16 का संशोधन– 3. मूल नियमावली में नियम 16 के क्रम संख्या (11) के बाद क्रम संख्या (12) निम्नवत जोड़ दिया जायेगा, अर्थात;

"(12) एच0आई0वी0/एडस से संक्रमित व्यक्ति"

टिप्पणी :– मूल नियमावली के परिशिष्ट "क" में पदनाम जो क्रम सं0–7, 8, 9, 10 एवं 11 में दिये गये है, में प्रवर वर्ग सहायक के स्थान पर प्रधान सहायक, लेखालिपिक के स्थान पर वरिष्ठ सहायक एवं टंकक, कनिष्ठ लिपिक, पुस्तकालय लिपिक के स्थान पर कनिष्ठ सहायक रख दिया जायेगा।

(आलोक कुमार वर्मा)
सचिव

संख्या– (1)/XXXVI(1)/2016-51/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की, जिला हरिद्वार को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपर्युक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रसारित असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख, परिनियम आदेश में प्रकाशित करने एवं अधिसूचना की 20 मुद्रित प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव

संख्या– 396 (2)/XXXVI(1)/2016-51/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. समस्त अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश।
5. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।
6. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)